

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर

पत्रांक २४९१/१४-१ दिनांक, कानपुर, मई, १५, २०२४

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ

विषय:-

७६५ के०वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी-बारा पारेषण लाइन सर्किट-१ के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित ०.३४५६ हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक १८ वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित ०.८०६४ हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक ३७ वृक्षों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित ०.४२८८ हे० संरक्षित व १४.४१०६ हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् १४.८३९४ हे० वनभूमि एवं बाधक २४६० वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित १.४१४५ हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक ०९ के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित ०.१०२४ हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक २२० वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित २.१५०४ हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक ६७ वृक्षों के पातन कुल ५.४९१३ हे० संरक्षित एवं १४.४१०६ हे० आरक्षित अर्थात् कुल १९.९०१९ हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक ३३३१/११-सी-एफ० पी०/यू०पी०/ट्रान्स/१५५३८/२०१५ दिनांक ०३.०५.२०२४

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, कानपुर नगर, कानपुर देहात एवं औरैया द्वारा ७६५ के०वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी-बारा पारेषण लाइन के निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/ट्रान्स/१५५३८/२०१५ में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय के परिवेश पोर्टल पर आनलाइन अपलोड किया गया है।

अतः प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, कानपुर नगर, कानपुर देहात एवं औरैया द्वारा उपलब्ध करायी गयी बिन्दुवार अनुपालन आख्या सहित संशोधित प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर आनलाइन अपलोड कर आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(कृष्ण कुमार सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर

संख्या:

अ/

समदिनांकित

प्रतिलिपि:-वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी कानपुर नगर, कानपुर देहात एवं औरैया को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-महाप्रबन्धक (पारेषण), साउथ ईस्ट उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कृष्ण कुमार सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर

पत्रांक 753/14-1 दिनांक, कानपुर 23-08-2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
कानपुर मण्डल,
कानपुर

विषय:-

साउथ ईस्ट यू०पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 765 के०वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी-बारा सर्किट-1 पारेषण लाइन के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 37 वृक्षों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे० संरक्षित एवं 14.4106 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् 14.8394 हे० वनभूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 9 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे० संरक्षित एवं 14.4106 हे० आरक्षित अर्थात् कुल 19.9019 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2811 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक-60/11-सी-FP/UP/TRANS/15538/2015, लखनऊ दिनांक 07.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में कानपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत उल्लिखित कमियों का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव 04 प्रतियों में संलग्न कर आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

क्रम सं०	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	प्रस्ताव में संलग्न वनभूमि की गणना में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है।	संशोधित प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-76 पर संलग्न कर दिया गया है।
2.	प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन) प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	पृष्ठ संख्या 70-71 पर संलग्न करके अपलोड कर दिया गया है।
3.	प्रस्ताव में बाधक वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु ऑनलाइन भाग - 2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सारांश संलग्न नहीं किया गया है।	पृष्ठ संख्या 41.1 पर संलग्न कर दिया गया है।
4.	पारेषण लाइन में आने वाले वृक्षों, जिनका पातन नहीं किया जाना है, वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार सहित सूची संलग्न नहीं है।	पृष्ठ संख्या 41.2 पर संलग्न कर दिया गया है।
5.	प्रस्ताव में संलग्न Geo Referenced Digital Map Geo Coordinate में संलग्न नहीं है।	पृष्ठ संख्या 106 पर संलग्न कर दिया गया है।
6.	प्रस्ताव में संलग्न एन० पी० वी० की गणना में गणना गलत आगणित की गयी है, अतः सही गणना कर संशोधित एन० पी० वी० की गणना ऑनलाइन अपलोड करें तथा ककपजपवदंस प्दवितउंजपवद कमजंपसेसे पूर्व का डिलीट करें।	संशोधित प्रस्ताव एन० पी० वी० की गणना कर प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-28 पर संलग्न है।
7.	प्रस्तावित वन भूमि के एन० पी० वी० में संशोधन के पश्चात	वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के

	बड़ी हुई एन० पी० वी० की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न नहीं है।	पृष्ठ संख्या 48.1 पर संलग्न कर दिया गया है।
8.	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न है किन्तु स्थल चिन्हित नहीं है।	स्थल चिन्हित कर दिया गया है।
9.	प्रस्ताव में संलग्न मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है।	संशोधित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 69-69.1 पर संलग्न कर दिया गया है।
10.	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या - 1,2 एवं 68 पर संलग्न प्रमाण पत्र में प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है। अतः सही विवरण अंकित करें।	संशोधित कर संलग्न कर दिया गया है।
11.	प्रस्ताव में संलग्न हार्ड कॉपी भाग -2 में प्रस्तावित वनभूमि क्षेत्रफल गलत अंकित है।	प्रस्ताव में अंकित वन प्रभाग कानपुर नगर की प्रस्तावित वन भूमि 0.3456 हे० सही अंकित है।
12.	ऑनलाइन भाग -2 एवं हार्डकॉपी भाग -2 के District Profile में विवरण भिन्न भिन्न अंकित है , अतः सही विवरण अंकित करें।	प्रस्ताव में District Profile का विवरण सही अंकित है।
13.	प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-68 पर संलग्न लीज रेंट प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण है, अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।	पृथक कर दिया गया है।
14.	तीन वैकल्पिक रुट्स Geo Referenced Digital Map संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-106 पर संलग्न कर अपलोड कर दिया गया है।
15.	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13 (प से अ तक) में अपलोड किये गए त्रुटिपूर्ण विवरण / अभिलेख को डिलीट करें।	डिलीट कर दिया गया है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीया
(दिव्या)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

पत्रांक / समादिनांकित।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(दिव्या)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात

पत्रांक : 3139/144

दिनांक : कानपुर देहात 25.05.2024

सेवा में,
मुख्य वन संरक्षक,
कानपुर वृत्त, कानपुर

विषय : साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 765 के० वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी - बारा सर्किट - 1 पारेषण लाइन के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 37 वृक्षों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे० संरक्षित एवं 14.4106 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् 14.8394 हे० वनभूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 9 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे० संरक्षित एवं 14.4106 हे० आरक्षित अर्थात् कुल 19.9019 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2811 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : 1. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक - 60/11-सी-
FPI/UP/TRANS/15538/2015, लखनऊ, दिनांक : जुलाई 07, 2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में बिंदुवार आपत्तियों का निराकरण कर वंचित सूचना एवं उससे सम्बंधित अभिलेख आपकी सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्न प्रकार प्रेषित है -

क्रम	अपेक्षित आख्या	निराकरण
1.	प्रस्ताव में संलग्न स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है।	संशोधित करके अपलोड कर दिया गया है।
2.	प्रस्ताव में संलग्न वनभूमि की गणना में बाधक वृक्षों की संख्या गलत अंकित है, अतः सही बाधक वृक्षों की संख्या अंकित करें।	संशोधित करके अपलोड कर दिया गया है।
3.	प्रस्तावित में प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन) प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	संशोधित करके अपलोड कर दिया गया है।
4.	प्रस्ताव में बाधक वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु व्यासवर्ग गलत अंकित है।	संशोधित करके अपलोड कर दिया गया है।
5.	पारेषण लाइन में आने वाले वृक्षों, जिनका पातन नहीं किया जाना है, वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार सहित सूची संलग्न नहीं है।	संशोधित करके अपलोड कर दिया गया है।
6.	प्रस्ताव में पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतया औषधीय पौधों का वृक्षारोपण का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न किया गया है, किन्तु प्राक्कलन में क्षेत्रफल गलत अंकित है। अतः सही क्षेत्रफल अंकित कर कम से कम 1000 पौधे प्रति हे० की दर से प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग - 2 में धनराशि सहित अपलोड करें।	अपलोड कर दिया गया है।

7.	प्रस्ताव में संलग्न एन० पी० वी० की गणना में क्षेत्रफल व गणना गलत आगणित की गयी है।	संशोधित करके अपलोड कर दिया गया है।
8.	वन अधिकार अधिनियम - २००६ के अंतर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र में प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है। अतः सही क्षेत्रफल अंकित कर ऑनलाइन अपलोड करें।	संशोधित करके अपलोड कर दिया गया है।
9.	प्रस्ताव में संलग्न मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है।	संशोधित करके अपलोड कर दिया गया है।
10.	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या १-२४ तक ऑनलाइन पार्ट -१ व पार्ट -२ त्रुटिपूर्ण संलग्न है, अतः सही करें।	सही पार्ट - १ संलग्न कर दिया गया है, संशोधित पार्ट -२ संशोधित करके अपलोड कर दिया गया है।
11.	प्रस्ताव में प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का हार्ड कॉपी भाग -२ संलग्न नहीं है।	अपलोड कर दिया गया है।
12.	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या - ५२ पर संलग्न संस्तुति प्रमाण पत्र में प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है।	संशोधित करके अपलोड कर दिया गया है।
13.	प्रस्ताव में संलग्न समस्त अभिलेखों में प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल 0.806 हे० अंकित है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही क्षेत्रफल 0.8064 हे० अंकित कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें तथा एडिशनल इनफार्मेशन डिटेल्स से सभी त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र को डिलीट कर संशोधित प्रमाण पत्र यथास्थान पर अपलोड करें।	संशोधित करके अपलोड कर दिया गया है।
14.	तीन वैकल्पिक रुट्स का Geo Referenced Digital Map संलग्न नहीं है, अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	अपलोड कर दिया गया है।
15.	ऑनलाइन भाग -२ के क्रमांक -१३ (से तक) में अपलोड किये गए त्रुटिपूर्ण विवरण / अभिलेख को डिलीट करें।	डिलीट कर दिया गया है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय


(ए० के० द्विवेदी)
प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

पत्रांक :/ अ.....समदिनांकित

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ० प्र०, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(ए० के० द्विवेदी)
प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया वन प्रभाग, औरैया।

पत्रांक : 1640 /

दिनांक: औरैया: दिसम्बर, 21, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

विषय:-

765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुर-बारा पारेषण लाई सर्किट-। के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 37 वृक्षों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे0 संरक्षित वनभूमि व 14.4106 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात् 14.8394 हे0 वनभूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 9 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे0 संरक्षित एवं 14.4106 हे0 आरक्षित अर्थात् कुल 19.9019 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2811 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की पत्र संख्या 1480/11-सी-FP/UP/Trans/15538/2015 दिनांक 13.01.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के अनुपालन में इस वन प्रभाग से चाही गई बिन्दुवार आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

क्रम सं०	अपेक्षित आख्या	निराकरण
1.	प्रस्ताव में संलग्न लीज अवधि प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने के कारण इसे प्रस्ताव से पृथक करें।	प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
2.	प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना वन भूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन) प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, अतः संलग्न कर अपलोड करें।	पृष्ठ संख्या 77-78 पर संलग्न है।
3.	प्रस्ताव में बाधक वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु ऑनलाइन भाग-2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सारांश संलग्न नहीं किया गया है।	पृष्ठ संख्या 40-41 पर संलग्न है।
4.	पारेषण लाइन में आने वाले वृक्षों, जिनका पातन नहीं किया जाना है, वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार सहित सूची संलग्न नहीं है।	पृष्ठ संख्या 41 A पर संलग्न है।
5.	प्रस्ताव में पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतया औषधीय पौधों का वृक्षारोपण एवं 8 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न किया गया है, जो की अपूर्ण है। अतः पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतया औषधीय पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन ऑनलाइन भाग-2 में धनराशि सहित अपलोड करें तथा पूर्व का वृद्धिपूर्ण प्राक्कलन डिलीट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित है।
6.	प्रस्तावित वन भूमि के एन० पी० वी० में संशोधन के उपरांत बढ़ी हुई एन० पी० वी० की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता ऑनलाइन अपलोड नहीं है।	पृष्ठ संख्या 55A पर संलग्न करके अपलोड कर दिया गया है।
7.	वन अधिकार अधिनियम-2006 के अंतर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	पृष्ठ संख्या 95 पर संलग्न है, प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर कार्यवाही हेतु।
8.	प्रस्ताव में गजट नोटिफिकेशन संलग्न नहीं है, अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।	प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर कार्यवाही हेतु।
9.	प्रस्ताव में संलग्न मालवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है।	पृष्ठ संख्या 76-76A पर संलग्न कर दिया गया है।
10.	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-2 में प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल गलत है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।	पृथक कर दिया गया है।

1.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हार्डकॉपी भाग - 2 में पूरा भरा नहीं गया है। अतः पूर्ण हार्डकॉपी भाग - 2 प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर कार्यवाही हेतु।
12.	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 82 - 85 पर संलग्न प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने के कारण इसे प्रस्ताव से पृथक करें।	पृथक कर दिया गया है।
13.	तीन वैकल्पिक रुट्स का Geo Referenced Digital Map संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	संलग्न कर दिया गया है।
14.	ऑनलाइन भाग - 2 के क्रमांक - 13 (i से iv तक) में अपलोड किये गए त्रुटिपूर्ण विवरण / अभिलेख को डिलीट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर कार्यवाही हेतु।

भवदीय

(इम्तियाज अहमद सिद्दीकी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
औरैया वन प्रभाग, औरैया

पत्रांक: 1640 / समदिनांकित।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की पत्र संख्या 1480 / 11-सी-FP/UP/
Trans/15538/2015 दिनांक 13.01.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(इम्तियाज अहमद सिद्दीकी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
औरैया वन प्रभाग, औरैया

Recd
VIVEK BAPAI
Specul TL
21/12/23